(नियम-26)

त सहायक कलक्टर (...)

राजस्व वाद 236/2017
जीसीएमएस नंबर 2017/00321
मदनलाल बनाम् बस्तीराम वगैरह

चाहा है जो पूर्ण रूपेण विभाजन नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 641 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 20.09.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 20.09.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 4797 दिनांक 16.12.2021 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी मदनलाल , बस्तीराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि पटवार हल्का तथा भू. अभि.निरीक्षक मांगलोद की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः मौजा दुगस्ताउ तहसील जायल में खेत खसरा नं. 641 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुवे तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा दुगस्ताउ तहसील जायल में खेत खसरा नं. 641 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुवे तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का भाग अभिन्न भाग रहेगा।

1. वादी मदनलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ के खेत खसरा नंबर 641 रकबा 34.07 बीघा में से 1.3921 हैक्टेयर भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 सुरजाराम के हक बंट में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 641 रकबा 34.07 बीघा में से 1.3841 हैक्टेयर भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 सीताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नंबर 641 रकबा 37.07 बीघा में से 2.7842 हैक्टेयर भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 बस्तीराम के मुतदाविया खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई है क्यों कि बस्तीराम अपने काका के गोद चला गया है।

निर्णय आज दिनांक 24/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

24/02/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner